संख्या–210/65–1–2004–153/2000

प्रेषक,

श्री रोहित नंदन
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विकलांग कल्याण अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 23 जनवरी, 2004

विषय :– विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया का विक्रेन्द्रीकरण।

महोदय,

विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में समय–समय पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शासनादेश जारी किये जाते रहे हैं। विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने एवं अन्य योजनाओं हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक को पूर्व में विकलांगता प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया गया था, लेकिन इस प्रमाण पत्र की अनुमन्यता राज्याधीन सेवाओं के लिये नहीं थी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासनादेश संख्या–125/5–7–2004–पन्द्रह–07/2002, दिनांक 19 जनवरी, 2004 द्वारा विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था को और अधिक सरलीकृत किया गया है। इस शासनादेश द्वारा वर्तमान व्यवस्था के साथ निम्नवत् विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है :–

1. विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु जिला अस्पताल एवं जिला स्तर पर तैनात ऐसे राजकीय विशेषज्ञ चिकित्सक को विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है, जो कम से कम एम0बी0बी0एस0 हों एवं संबंधित विकलांगता जिसका प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा, में विशेषज्ञ योग्यता रखते हों।
2. चलन क्रिया से संबंधित निःशक्तता तथा दृष्टिबाधित व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण–पत्र देने के लिए ऐसे निजी चिकित्सक भी अधिकृत होंगे, जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एम0एस0 आर्थोपैडिक्स अथवा एम0एस0 आथमालोजी अथवा समकक्ष हो।

उपरेक्तानुसार निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र केवल विकलांग कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये ही मान्य होगा। राज्याधीन सेवाओं/प्राइवेट सेक्टर तथा निजी संस्थाओं में रोजगार प्राप्त करने हेतु केवल मुख्य चिकित्साधिकरी द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

उक्त शासनादेश की प्रति संलग्न करते हुए मुझसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी उक्त शासनादेश को जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करायें। स्वैच्छिक संस्थाओं को भी इसकी जानकारी दी जाय तथा अन्य साधनों के माध्यम से व्यापक प्रचार करायें ताकि विकलांग जनों को इस सरलीकृत व्यवस्था से विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके।

भवदीय,
(रोहित नंदन)
सचिव।

संख्या – 210(1)/65–1–2004 तद्दिनांक।

1. प्रतिलिपि– निदेशक, विकलांग कल्याण उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी उक्त शासनादेश को सभी जिला विकलांग कल्याण अधिकारियों व अन्य संबंधित को जानकारी हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त मण्डलायुक्त को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(रोहित नंदन)
सचिव।